

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकरण क्रमांक : २९/२०२१ व २३.०९.२१

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : इ.स.स. डे व/६ एम.एस.बी.डी

CGRERA-P- EXE-M-PAO-2019-00352

30.12.2021

प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक स्वतः उप।


अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.2019 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 12,82,969 (बारह लाख ब्यासी हजार नौ सौ उनहत्तर रु. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा- 40(1) छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः Rs. 12,82,969 (बारह लाख ब्यासी हजार नौ सौ उनहत्तर रु. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदय को प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।


न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण,
छत्तीसगढ़, रायपुर